



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 161913

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26930 / 2026

विशेषर

.....आवेदिका

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदिका के अधिवक्ता : मनोज कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एन.के. शर्मा को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, थाना उभांव, जनपद बलिया में धारा 108, 238(बी), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 100 / 2026 में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक मृतक का पिता है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आरोपित घटना दिनांक 16.05.2026 को घटित होना बताई गई है। संबंधित थाने के उपनिरीक्षक द्वारा दिनांक 19.05.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई देरी अभियोजन के मामले के लिए घातक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व फांसी लगाने के कारण श्वासावरोध है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों तथा जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के अंतर्गत अपराध गठित करने के आवश्यक तत्व पूर्ण नहीं होते हैं। आवेदक ने किसी भी प्रकार से मृतक द्वारा आत्महत्या किए जाने के लिए दुष्प्रेरणा नहीं की है। यह तर्क दिया गया है कि जिस कथित बोलेरो कार से मृतक के शव को फेंके जाने की बात कही गई है, वह न तो आवेदक की है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य है जिससे यह स्थापित हो कि मृतक के शव को कथित रूप से ठिकाने लगाए जाने के समय आवेदक उक्त वाहन में उपस्थित था। केवल अपमान या उत्पीड़न के संबंध में लगाए गए अस्पष्ट एवं सामान्य आरोप, किसी सकारात्मक रूप से किए गए उकसावे, जानबूझकर सहायता अथवा ऐसे निकटवर्ती आचरण के अभाव में, जिसने मृतक को आत्महत्या करने के लिए विवश किया हो, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरणा का अपराध गठित नहीं करते हैं। अपने तर्क के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निपुण अनेजा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अपराधिक अपील संख्या 654 / 2017, दिनांक 03.10.2024 को निर्णीत तथा अभिनव मोहन देलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, अपराधिक अपील संख्या 2177-2185 / 2024, दिनांक 18.08.2025 को निर्णीत मामलों के निर्णयों पर भरोसा किया है। आगे यह तर्क दिया गया कि समान परिस्थितियों में स्थित सह-अभियुक्त श्रीपति को इस न्यायालय द्वारा अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 23540 / 2026 (श्रीपति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में दिनांक 20.07.2026 को पारित आदेश के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है। जांच पूर्ण हो चुकी है और आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक दिनांक 20.05.2026 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु अभिलेख से उपर्युक्त प्रस्तुतियों का संतोषजनक रूप से खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख के परिशीलन के पश्चात यह न्यायालय प्रथम दृष्टया पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व फांसी लगाने के कारण श्वासावरोध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों तथा जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के अंतर्गत अपराध गठित करने के आवश्यक तत्व पूर्ण नहीं होते हैं। समान परिस्थितियों में स्थित सह-अभियुक्त श्रीपति को इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक के संबंध में ऐसा कोई निकटवर्ती अथवा प्रत्यक्ष कृत्य नहीं है, जिसे आत्महत्या के लिए उकसावे, षड्यंत्र अथवा जानबूझकर सहायता के रूप में माना जा सके। इसके अतिरिक्त, आवेदक दो माह से अधिक समय से निरुद्ध है और आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। राज्य की ओर से ऐसी कोई युक्तिसंगत आशंका भी सामने नहीं लाई गई है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा, विचारण में विलंब करेगा अथवा साक्षी को धमकाएगा। अतः मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

6. अतः आवेदक विशेषर, जो उपर्युक्त मामले में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

- (i) वह विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा;
- (ii) वह अभियोजन के साक्ष्य के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा; तथा
- (iii) वह अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

दिनांक : 04 अगस्त, 2026

एस.एस.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।